

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6686.02	395.00	7081.02	5216.43	38.15	5254.58	6021.31	28.70	6050.01	4954.84	59.22	5014.06
<i>वसूलियां</i>	-27.09	...	-27.09
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	6658.93	395.00	7053.93	5216.43	38.15	5254.58	6021.31	28.70	6050.01	4954.84	59.22	5014.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	131.53	7.00	138.53	159.61	11.00	170.61	140.83	7.94	148.77	134.00	10.23	144.23
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	38.06	...	38.06	37.96	5.04	43.00	33.56	1.01	34.57	34.00	25.05	59.05
3. व्यापार आयुक्त	236.16	...	236.16	240.00	...	240.00	234.45	...	234.45	246.00	...	246.00
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	96.42	...	96.42	110.26	3.64	113.90	102.28	2.89	105.17	116.53	2.94	119.47
5. <i>विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन</i>												
5.01 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	39.54	...	39.54	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00
5.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	22.29	...	22.29	25.30	1.80	27.10	20.48	0.20	20.68	21.39	1.00	22.39
5.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	164.68	...	164.68	157.34	16.66	174.00	141.75	16.66	158.41	142.00	20.00	162.00
5.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	5.71	...	5.71	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	310.00	...	310.00
<i>जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन</i>	<i>232.22</i>	<i>...</i>	<i>232.22</i>	<i>253.64</i>	<i>18.46</i>	<i>272.10</i>	<i>228.23</i>	<i>16.86</i>	<i>245.09</i>	<i>514.39</i>	<i>21.00</i>	<i>535.39</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	734.39	7.00	741.39	801.47	38.14	839.61	739.35	28.70	768.05	1044.92	59.22	1104.14
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
6. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	92.50	...	92.50	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00
8. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईईएस)	70.99	...	70.99	71.00	...	71.00	51.67	...	51.67	51.67	...	51.67
9. शुल्क वापसी स्कीम	128.45	...	128.45	180.00	...	180.00	200.70	...	200.70	180.00	...	180.00
10. चाय बोर्ड	125.89	...	125.89	135.00	...	135.00	130.00	...	130.00	721.50	...	721.50
11. कॉफी बोर्ड	228.29	...	228.29	226.20	...	226.20	226.20	...	226.20	280.00	...	280.00
12. रबड़ बोर्ड	293.76	...	293.76	268.76	...	268.76	244.29	...	244.29	320.00	...	320.00
13. मसाला बोर्ड	115.50	...	115.50	115.50	...	115.50	115.50	...	115.50	130.00	...	130.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निर्यात संवर्धन योजनाएं												
14. बाजार संबंधी पहल	190.00	...	190.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00	200.00	...	200.00
15. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	906.00	...	906.00
16. रत्न तथा आभूषण क्षेत्र												
16.01 आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना	95.00	...	95.00	39.17	...	39.17
17. ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश	...	388.00	388.00	...	0.01	0.01
18. ब्याज समकरण स्कीम	3118.01	...	3118.01	2932.00	...	2932.00	3700.00	...	3700.00	1700.00	...	1700.00
जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं	4214.01	388.00	4602.01	3132.00	0.01	3132.01	4045.00	...	4045.00	1939.17	...	1939.17
19. परियोजना विकास निधि	1.99	...	1.99	0.03	...	0.03
20. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	26.93	...	26.93	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00	45.00	...	45.00
21. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना	538.55	...	538.55	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	5914.87	388.00	6302.87	4351.46	0.01	4351.47	5244.39	...	5244.39	3857.35	...	3857.35
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. स्वायत्त संस्थाएं												
22.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00	45.00	...	45.00
22.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	0.20	...	0.20	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
जोड़- स्वायत्त संस्थाएं	35.20	...	35.20	60.00	...	60.00	36.00	...	36.00	50.00	...	50.00
अन्य												
23. विदेश गमन प्रतिनिधिमंडल	0.21	...	0.21	0.50	...	0.50	0.27	...	0.27	0.47	...	0.47
24. विदेशी प्रतिनिधिमंडल	0.95	...	0.95	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.30	...	1.30
25. विदेश व्यापार विवाद संबंधी व्यय	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	0.80	...	0.80
26. वास्तविक वसूली	-27.09	...	-27.09
जोड़-अन्य	-25.53	...	-25.53	3.50	...	3.50	1.57	...	1.57	2.57	...	2.57
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	9.67	...	9.67	63.50	...	63.50	37.57	...	37.57	52.57	...	52.57
कुल जोड़	6658.93	395.00	7053.93	5216.43	38.15	5254.58	6021.31	28.70	6050.01	4954.84	59.22	5014.06
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.00	7.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	7.00	7.00
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. प्लाटेशन	763.32	...	763.32	672.89	...	672.89	643.42	...	643.42	1009.61	...	1009.61
3. ग्राम एवं लघु उद्योग	-1.84	...	-1.84
4. उद्योग	-2.01	...	-2.01
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	130.76	...	130.76	159.61	...	159.61	140.83	...	140.83	134.00	...	134.00
6. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	5768.70	...	5768.70	4305.96	...	4305.96	5159.09	...	5159.09	3363.94	...	3363.94
7. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन पर पूंजीगत परिव्यय	3.64	3.64	...	2.89	2.89	...	2.94	2.94
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	388.00	388.00	...	0.01	0.01
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	34.50	34.50	...	25.81	25.81	...	56.28	56.28
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6658.93	388.00	7046.93	5138.46	38.15	5176.61	5943.34	28.70	5972.04	4507.55	59.22	4566.77
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	77.97	...	77.97	77.97	...	77.97	447.29	...	447.29
जोड़-अन्य	77.97	...	77.97	77.97	...	77.97	447.29	...	447.29
कुल जोड़	6658.93	395.00	7053.93	5216.43	38.15	5254.58	6021.31	28.70	6050.01	4954.84	59.22	5014.06

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. आईटीपीओ	...	253.62	253.62	...	162.00	162.00	...	162.00	162.00			
2. ईसीजीसी	388.00	...	388.00	0.01	...	0.01			
जोड़	388.00	253.62	641.62	0.01	162.00	162.01	...	162.00	162.00			

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्यालय भवन 'वाणिज्य भवन के निर्माण हेतु प्रावधान सहित विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है।

3. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्द्धन करने के

लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

4. **विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातमुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार हैं।

5.01. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान

5.02. **व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा:** व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5.03. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** डी जी एफ टी निदेशालय भारतीय निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, माने गए निर्यात, शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

5.04. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** इसमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व एक्सपो 2025, ओसाका, जापान में भागीदारी के लिए 400 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय का प्रावधान शामिल है। विश्व एक्सपो 2025 ओसाका में भारत का पैवेलियन जापान में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपये और 2025-26 में 100 करोड़ है। मेगा इवेंट में भागीदारी भारत की उपलब्धि क्षमताओं के साथ-साथ क्षेत्र और दुनिया के साथ रणनीतिक जुड़ाव को भी दर्शाएगी और यह संदेश भी देगी कि भारत के पास दुनिया की सबसे अच्छी पेशकश के साथ नए संबंध बनाने के लिए सही मायने में वैश्विक संच तक पहुंच होगी। एक्सपो से जुड़ी अरबों डालर की परियोजनाएं भारत में विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेंगी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप में स्वीकृत 90.00 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांग संसद द्वारा पारित किए जाने तथा संबंधित विनियोग अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात भारत की आकस्मिक निधि में वापस कर दिए जाएंगे।

6. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए):** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए):** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

8. **निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईएस):** इस स्कीम में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुल्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।

9. **शुल्क वापसी स्कीम:** समवत निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर संदत सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क का रिफण्ड / टीईडी का रिफण्ड।

10. **चाय बोर्ड:** भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास की दिशा में काम करने के लिए चाय बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड का ध्यान चाय उद्योग और व्यापार के विकास पर केंद्रित है, विशेष रूप से उत्पादन के क्षेत्र में, खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों का बढ़ावा देना और चाय में अनुसंधान और विकास के प्रयास, चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान चलाना और पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने जैसे नियामक कार्य करना। चाय बोर्ड चाय के आंकड़ों के संग्रह और

प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाता है और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करता है, जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 जैसे वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, यह प्रस्ताव किया गया था कि असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। इस घोषणा के अलावा, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएमसीएसपीवाई) को अंतिम रूप दिया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप करना है, ताकि चाय श्रमिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

11. **काँफी बोर्ड:** काँफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है। बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : काँफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए काँफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली काँफी की बिक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना, काँफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना।

12. **रबर बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है; रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्वैस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद विनिर्माताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

13. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

14. **बाजार संबंधी पहल:** बाजार पहुंच पहल स्कीम को स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधान हैं उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभारों के लिए। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संगठनों निर्यात संवर्धन परिषदों पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों वस्तु बोर्डों, मान्यताप्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र गतिविधियों के तहत विदेशों में विपणन परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता, अध्ययन, परियोजना विकास आदि शामिल हैं।

15. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का उद्देश्य निर्यात की ऐसी परियोजनाओं के सेक्टरों को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करना है जो ईसीजीसी की बीमांकन क्षमता से अधिक हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का अनुरक्षण एवं प्रचालन किया जाता है जो वाणिज्य विभाग एवं ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक सार्वजनिक न्यास है।

16. **रत्न तथा आभूषण क्षेत्र:** आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब गोन डायमंड (आईएनसेंट-एलजीडी) की स्थापना 5 साल की अवधि में 242.96 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के साथ प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) मशीनरी, बीज और रेसिपी के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

17. **ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश:** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

18. **ब्याज समकरण स्कीम:** निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ श्रम गहन तथा अन्य निर्यात उन्मुक्त क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करना

19. **परियोजना विकास निधि:** परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का उद्देश्य भारतीय उद्योग के सदस्यों द्वारा कम्बोडिया लाओस म्यानमार वियतनाम (सीएलएमवी) क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना है। पीडीएफ का संचालन, स्पेशल परपज व्हिएकल्स (एसपीवी) मूजित करके सहयोगी भारतीय कारपोरेटों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु एक्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा। पीडीएफ से क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

20. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन सीआरआईटी (सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड) है, जो आईआईएफटी का हिस्सा बना रहेगा।

21. **विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना:** यह योजना कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल-भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल-भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा तथा कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगा जिससे विदेशी बाजारों में ब्रेंडेड कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है।

22.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** मानव संसाधन विकास डाटा के सृजन विश्लेषण प्रसार तथा अनुसंधान के संचालन के माध्यम से देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने तथा निर्यात बढ़ाने में मदद के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का गठन किया गया।

22.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना अच्छी पैकेजिंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पैकेजिंग तथा पैकेजिंग डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान एवं विकास करने और प्रोत्साहित करने, पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश करने, पैकेजों पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण करने मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, कारगर सुधार के लिए वस्तुवार और देशवार निर्यात के लिए पैकेजिंग का अध्ययन करने ,संगम जापान में यथा निर्धारित पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।

23. **विदेश गमन प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान।

24. **विदेशी प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए प्रावधान।

25. **विदेश व्यापार विवाद संबंधी व्यय:** इसमें विदेशी व्यापार पर विवाद होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।